लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1724

10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएलआई योजना के लिए पंजीकरण का विस्तार

1724. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

श्रीमती भारती पारधी:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वस्त्र में उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं और ऐसे समय-विस्तार के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य क्या हैं;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी बढ़ाने और पीएलआई प्रोत्साहनों तक व्यापक और अधिक समान सुलभता सुनिश्चित करने के लिए किए गए विशिष्ट संशोधन या दी गई छूट क्या हैं;

(ग) वस्त्र क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण क्षमता, रोजगार सृजन और निजी निवेश पर इन उपायों का अपेक्षित प्रभाव क्या है;

(घ) पीएलआई योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन की निगरानी करने, परिणामों का आकलन करने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थापित तंत्र क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बड़े उद्यमों, एमएसएमई और पारंपरिक वस्त्र संकुलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): भारत सरकार भारत में मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण में निवेश और पैमाने को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों हेतु उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है। योजना के तहत व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से एमएसएमई द्वारा, योजना को दिनांक 9 अक्टूबर 2025 की संशोधित अधिसूचना के माध्यम से अधिक आकर्षक बनाया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

i. न्यूनतम निवेश सीमा में 50% की कमी,
ii. 25% से 10% तक वृद्धिशील कारोबार मानदंड को कम करना,
iii. एमएमएफ अपैरल और फैब्रिक के 17 नए उत्पादों को शामिल करके अधिसूचित उत्पाद बास्केट का विस्तार,
iv. योजना का लाभ उठाने के लिए एक नई कंपनी की स्थापना की शर्त में छूट।

सरकार ने नए आवेदनों की स्वीकृति के लिए दिनांक 01.08.2025 से आवेदन पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया है और हाल के संशोधनों का लाभ उठाने के लिए मध्यम आकार की कंपनियों की व्यापक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए पात्र आवेदकों को अतिरिक्त समय देने के साथ-साथ उद्योग से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया को देखते हुए इसकी समय सीमा दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दी गई है।

(ग): इस योजना में किए गए संशोधन सम्पूर्ण एमएमएफ मूल्य श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करने और एमएमएफ अपैरल, फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इन संशोधनों के बाद, पोर्टल पर आज तक 84 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 10,789 करोड़ रुपये के निवेश, 44,081 करोड़ रुपये के कारोबार और लगभग 86,740 नए रोजगार सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

(घ): पीएलआई योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा मंत्रालय, डीपीआईआईटी, सभी पीएलआई योजनाओं के लिए नोडल विभाग और सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के स्तर पर की जाती है। इसके अलावा, सख्त फील्ड स्तरीय-सत्यापन के लिए एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को नियुक्त किया गया है। योजना से संबंधित डेटा एवं निष्पादन मापदंडों के केंद्रीकृत संकलन हेतु एक समर्पित पीएलआई पोर्टल बनाया गया है। इसके अलावा, योजना की प्रगति का नियमित आधार पर आकलन करने के लिए योजना को नीति आयोग के आउटपुट-आउटकम निगरानी फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत किया गया है।

(ङ): संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, देश में एमएमएफ अपैरल एवं फैब्रिक तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तहत चयनित 91 कंपनियों द्वारा 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 113 विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा, सरकार देश में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अखिल भारतीय आधार पर अवसंरचना विकास, बाजार विकास, निर्यात संवर्धन और कौशल विकास से संबंधित कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

***